"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 — ज्येष्ठ 10, शक 1940

वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016, (जो कि अधिसूचना क्र. 13/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 29 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित है), में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 2 एवं 4 में, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "30 सितम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 178/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 29th May 2018

NOTIFICATION

No. 178/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC. — In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 02/L 8-9 (Part)/ 2016/Fin./FCC, dated 20th January, 2016 (as amended by Notification No. 13/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC, dated 29th January, 2018), namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

In para 2 and 4, for the figures and word "31st May, 2018", the figures and word "30th September, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH KUMAR SISODIYA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 16/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र., नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31 मई, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक वृद्धि करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 29th May 2018

NOTIFICATION

No. 180/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC. — In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification No. 16/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC, Naya Raipur, dated 29th January, 2018, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from 31st May, 2018 to 30th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH KUMAR SISODIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.